न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2018 (राजसमन्द आर्डर)

उदयलाल पिता भूरालाल जी खटीक, निवासी पीपरडा जरिये अधिकारपत्र धारक नानालाल पिता उदयलाल पिता भूरालाल जी खटीक, निवासी पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कालुलाल पिता केला जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
2. सोहनलाल पिता केला जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
3. लक्ष्मण उर्फ लच्छु पिता केला जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती बसन्ती पुत्री केला जी पत्नी सोहनलाल जी खटीक, निवासी मोही, तहसील व राजसमन्द (राज.)
5. मंगीलाल पिता भूरा जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
6. मदन पिता डालू जी खटीक (मृतक) के बजाय वारिसान :–

6/1. डाली बेवा मदनलाल जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)

6/2. दीपक पिता मदनलाल जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)

7. दशरथ पिता डालू जी खटीक, निवासी पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
8. हीरा पुत्री डालू जी पत्नी शान्तिलाल जी खटीक, निवासी पीपली डोडियान, तहसील व राजसमन्द (राज.)
9. लक्ष्मी पुत्री डालू जी पत्नी दिनेश जी खटीक, निवासी कोठारिया, तहसील नाथद्वारा, जिलस राजसमन्द (राज.)
10. दुर्गा पुत्री डालू जी पत्नी जी खटीक, निवासी पडासली, तहसील व राजसमन्द (राज.)

11. शारदा पुत्री डालू जी पत्नी बाबुलाल जी खटीक, निवासी मोही, तहसील व राजसमन्द (राज.)
12. मुन्नी बेवा स्वर्गीय देवीलाल जी खटीक, निवासी पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
13. विशाल पिता स्वर्गीय देवीलाल जी खटीक नाबालिग जरिये वली माता मुन्नी बेवा स्वर्गीय देवीलाल जी खटीक, निवासी पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
14. आरती पुत्री स्वर्गीय देवीलाल जी खटीक नाबालिग जरिये वली माता मुन्नी बेवा स्वर्गीय देवीलाल जी खटीक, निवासी पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
15. रीना पुत्री स्वर्गीय देवीलाल जी खटीक, निवासी पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
16. चतरभुज पिता गोकल जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
17. लालु पिता गोकल जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
18. बंशीलाल पिता गोकल जी खटीक, निवासी भट्टा पीपरडा, तहसील व राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 08.06.2017, प्र॰सं॰ 41/2008

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री एस.एल. लढ्ढा अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 25–11–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित

धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 7 गोकुल जी के वारिस हैं, जिनके एकल खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजियात प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार कुल किता 10 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम पीपरडा में स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 में गोकल जी के एकल खातेदारी की कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी, किन्तु संवत् 2022 में सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी अधिकार के उक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 के पिता धूला जी के नाम अंकित कर दी गयी, जबकि यह भूमियां गोकल जी को आवंटित होकर उनके गैरखातेदारी में दर्ज रही हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 08–06–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–03–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। अपीलान्ट को तो आदेश 22 नियम 4 व धारा 9 व 5 के प्रार्थना पत्र की बहस की जानकारी थी, लेकिन 21–01–2018 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री एस. एल. लढ्ढा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को बिना सुनवाई का अवसर दिये राजस्व कैम्प में निर्णय पारित कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान वकील ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन करते हुए अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ''उक्त प्रार्थना पत्र चलते हुए 9 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा आज दिनांक तक स्थगन जारी नहीं हुआ है। उभयपक्ष प्रकरण को अनावश्यक लम्बा कर रहे हैं। धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण समयावधि में किया जाना आवश्यक होता है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष मूलवाद में ही दिया जाना संभव है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं माना है एवं इस आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं माना है तथा उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–06–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–11–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 15:50:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: